

2026/32

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील- आबूरोड

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	242	490 2 495 1 कि० 02	3.2498 1.4162 4.6660	मुल्मान पुजा नुरमोहम्मद खानि - मुसलमान सां आबूरोड रहन - रामस्थान महधरा शामीरा वंके शाखा आबूरोड	मुल्मान पुजा नुरमोहम्मद खानि मुसलमान सां आबूरोड रहन - रामस्थान शामीरा वंके शाखा - आबूरोड	

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संपन्न 2025-26 (जमाबन्दी 2026 से श्यामी) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट सटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हत्का अध्यापिका भू०अ०नि० अध्यापिका की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हत्का अध्यापिका भू०अ०नि० अध्यापिका राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। धात जमाबन्दी में अमल किया जावे।

दिनांक 13/12/2025
ह० प्रख्यारी
प०भ०

दिनांक 13/12/2025
ह० भू०अ०नि०
तहसील

तहसीलदार अध्यापिका
ह० उपखण्ड अधिकारी
जिला-सिरोही उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड